न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश–13, वैशाली, हाजीपुर।

स्वत्व पुनर्वाद सं0–01/1996

01.12.2021 उभय पक्षों की हाजरी है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

अपीलकर्तागण/प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक–25.11.2021 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–41 नियम 27 सह पठित धारा–107 वो 151 के अन्तर्गत श्री अरूण कुमार सिन्हा, सर्वेदा अधिवक्ता द्वारा तैयार तुलनात्मक नक्शा एवं प्रतिवेदन को विलम्ब माफ करते हुए साक्ष्य में लिये जाने हेतु दायर किया गया है।

स्वत्व वाद सं0–119/1986 के वादीगण/उत्तरवादीगण द्वारा उक्त स्वत्व वाद ने पुराना खेसरा नं0–13 का उत्तरवारी 1 कठा अंश प्रतिवादी द्वितीय पक्ष/उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के खेसरा सं0–2028 में जानिब दक्षिण से शामिल हो जाने की बात कही है तथा उक्त स्वत्व वाद के कंडिका–6 में पुराना खेसरा नं0–14 का 1 कठा उत्तरवारी अंश वादिनी के पुराना खेसरा सं0–13 से नया सर्वे में नया खेसरा सं0–2029 में शामिल हो गया है। स्वत्व वाद सं0–119/1986 के वाद पत्र के अवलोकन से विदित है कि अपीलकर्ता विवादित भूमि एवं अन्य भूमि वजरिये विभिन्न केवाला दस्तावेजो के माध्यम से खरीदार हैं तथा प्रार्थी प्रतिवादी ने अपनी खरीदगी भूमि में अपना पक्का आवासीय मकान बनाया है। उक्त स्वत्व वाद में पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि वादी के निवेदन पर न्यायालय की ओर से श्री शंभू नाथ प्रसाद सर्वेदा अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किये गये थे जिन्होंने अपना फिल्डबुक, नक्शा एवं नापी प्रतिवेदन जमा किया था लेकिन उनका न तो मुख्य परीक्षण ना ही प्रति परीक्षण हुआ। उक्त स्वत्व वाद में पारित निर्णय के कंडिका–11 से विदित होगा कि श्री मुस्तकीम खॉ (वादी साक्षी सं0–7) सर्वे अधिवक्ता आयुक्त ने वादी की ओर से अपना प्रतिवेदन समर्पित किया था तथा अपना साक्ष्य दिया था। उक्त दोनों सर्वेदा अधिवक्ता आयुक्त मर चुके है फलस्वरूप अब प्रतिवादी/अपीलकर्ता चाह कर भी उनका जिरह नहीं कर सकते है। आगे अपीलकर्ता/प्रतिवादी का कथन है कि उक्त स्वत्व वाद की मूल वादिनी श्रीमती कंचल देवी के बड़े पुत्र श्री शम्भू नाथ गुप्ता व्यवहार न्यायालय हाजीपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता है तथा उन्होंने बतौर बादी साक्षी सं0–2 अपना साक्ष्य भी दिया है तथा अपनी मॉ के मरणोपरान्त स्वयं वादी/उत्तरवादी हैं तथा अपने सहकर्मी अधिवक्ताओं पर काफी प्रभाव रहता आया परिणामस्वरूप दोनों सर्वेदा अधिवक्ताओं ने

Web Copy not Official

01.12.2021 वस्तुस्थिति के विपरीत वादी के मेल वो प्रभाव में आकर अपना–अपना गलत प्रतिवेदन समर्पित किया। आवेदक अपीलकर्ता का आगे कथन है कि विवादित भूमि एवं अन्य भूमि में अपीलकर्ता का पक्का आवासीय मकान बना हुआ है एवं प्रासंगिक अपीलमें साक्ष्य के अभाव में खारिज होने से अपना पक्का मकान तोड़कर हटा लेने की बात उठेगी इसलिए आवेदक ने दिनांक–22.01.2021 को न्यायालय में किसी सर्वेदा अधिवक्ता को नियुक्त कर नये सिरे से आवेदन में वर्णित विन्दुओं पर प्रतिवेदन मांग लेने का आवेदन दिया था जो कालान्तर में खारिज हो गया। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक अपीलकर्ता ने अपने स्तर से श्री अरूण कुमार सिन्हा, सर्वे जानकार अधिवक्ता से स्थल नापी नक्शा वो प्रतिवेदन जमा किया है जिसे वास्तविक न्यायहित में विलम्ब माफ कर प्रार्थी की ओर से सुबुत में स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलकर्ता के उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में उत्तरवादी के विद्वान अधि ावक्ता मौखिक रूप से निवेदन करते हैं कि उन्हें प्रस्तुत आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं करना है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि वादी के द्वारा पूर्व में दिनांक–22.01.2021 को एक आवेदन के माध्यम से सर्वेदा अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दिया गया था जिसे दिनांक–26.02.2021 को पूर्व न्यायालय से विस्तृत आदेश के द्वारा खारिज किया गया है। अब पुनः अपने स्तर से श्री अरूण कुमार सिन्हा, सर्वे जानकार अधिवक्ता से स्थल नापी नक्शा वो प्रतिवेदन जमा किया गया है तथा वास्तविक न्यायहित में विलम्ब माफ कर प्रार्थी की ओर से सुबुत में स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया है जो कि प्रकारान्तर से पूर्व के खारिज आवेदन का रूप बदल कर दाखिल किया गया है जो वाद को विलम्बित करने की मंशा को दर्शाता है तथा वाद के इस प्रक्रम पर स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलकर्तागण/प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक–25.11.2021 खारिज किया जाता है।

लेखापित,

अपर जिला न्यायाधीश–13,

Web Copy not Official